उत्तर प्रदेश शासन
महिला एवं बाल विकास अनुभाग–2
संख्या–3120/60–2–17–2/1(1)/91
लखनऊ : दिनांक 7 दिसम्बर, 2017

अधिसूचना

प्रकीर्ण

संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल, उत्तर प्रदेश बाल विकास एवं पुष्टाहार (समूह 'क' और समूह 'ख') सेवा नियमावली, 1996 में संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:–

उत्तर प्रदेश बाल विकास एवं पुष्टाहार (समूह 'क' और समूह 'ख') सेवा (प्रथम संशोधन) नियमावली, 2017

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ	1. (1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश बाल विकास एवं पुष्टाहार (समूह 'क' और समूह 'ख') सेवा (प्रथम संशोधन) नियमावली, 2017 कही जायेगी। (2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।	
नियम 3 का संशोधन	2. उत्तर प्रदेश बाल विकास एवं पुष्टाहार (समूह 'क' और समूह 'ख') सेवा नियमावली, 1996, जिसे आगे उक्त नियमावली कहा गया है, में नियम 3 में, नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये विद्यमान खण्ड (क) के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात–	
	स्तम्भ–1 विद्यमान खण्ड	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित खण्ड
	(क) "नियुक्ति प्राधिकारी" का तात्पर्य अपर परियोजना प्रबन्धक, कार्यक्रम अधिकारी (मुख्यालय), सहायक निदेशक और जिला कार्यक्रम अधिकारी के पदों के सम्बन्ध में राज्यपाल से है, अनुभाग अधिकारी के सम्बन्ध में सचिव से है और बाल विकास परियोजना अधिकारी, अपर बाल विकास परियोजना अधिकारी और निदेशक के वैयक्तिक सहायक के पद के सम्बन्ध में निदेशक से है;	(क) "नियुक्ति प्राधिकारी" का तात्पर्य उप निदेशक, सहायक निदेशक और जिला कार्यक्रम अधिकारी के पदों के सम्बन्ध में राज्यपाल से है और बाल विकास परियोजना अधिकारी के पद के सम्बन्ध में निदेशक से है,
नियम 5 का प्रतिस्थापन	3. उक्त नियमावली में, नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये विद्यमान नियम 5 के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात:–	
	स्तम्भ–1 विद्यमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
	5. भर्ती का स्रोत :– सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर भर्ती निम्नलिखित	5. भर्ती का स्रोत :– सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर भर्ती

	स्रोतों से की जायेगी:–	निम्नलिखित स्रोतों से की जायेगी:–
	(क) अपर परियोजना प्रबन्धक/ कार्यक्रम अधिकारी (मुख्यालय) :– मौलिक रूप से नियुक्त जिला कार्यक्रम अधिकारियों और सहायक निदेशकों में से जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में सात वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, पदोन्नति द्वारा।	(1) उप निदेशक :– मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे जिला कार्यक्रम अधिकारियों में से, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में बारह वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, चयन समिति के माध्यम से पदोन्नति द्वारा।
	(ख) सहायक निदेशक:– मौलिक रूप से नियुक्त अनुभाग अधिकारियों, कार्यालय अधीक्षक श्रेणी–दो और वैयक्तिक सहायकों में से जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में सात वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, पदोन्नति द्वारा।	(2) सहायक निदेशक :– मौलिक रूप से नियुक्त लिपिकीय संवर्ग सेवा के ऐसे प्रशासनिक अधिकारियों में से, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में दस वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, चयन समिति के माध्यम से पदोन्नति द्वारा।
	(ग) जिला कार्यक्रम अधिकारी:– (एक) पचास प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा। (दो) पचास प्रतिशत मौलिक रूप से नियुक्त बाल विकास परियोजना अधिकारियों में से जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में दस वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो और मौलिक रूप से नियुक्त क्षेत्र प्रतिवेदकों/पोषणविदों में से जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में बारह वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, पदोन्नति द्वारा। परन्तु पचास में से केवल एक रिक्ति क्षेत्र प्रतिवेदकों/पोषणविदों में से भरी जायेगी।	(3) जिला कार्यक्रम अधिकारी:– (एक) पचास प्रतिशत आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा। (दो) पचास प्रतिशत मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे बाल विकास परियोजना अधिकारियों/अपर बाल विकास परियोजना अधिकारियों में से, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में दस वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, आयोग के माध्यम से पदोन्नति द्वारा।
	(घ) अनुभाग अधिकारी :–मौलिक रूप से नियुक्त कार्यालय अधीक्षक श्रेणी–दो और प्रवर वर्ग सहायकों में से जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में सात वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, पदोन्नति द्वारा।	
	(ड़) बाल विकास परियोजना अधिकारी:–	(4) बाल विकास परियोजना अधिकारी:–

	(एक) पचास प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा। (दो) पचास प्रतिशत मौलिक रूप से नियुक्त अपर बाल विकास परियोजना अधिकारियों में से और ऐसे अधिकारियों के उपलब्ध न होने की स्थिति में, मौलिक रूप से नियुक्त पर्यवेक्षकों में से, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में बारह वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, पदोन्नति द्वारा।	(एक) पचास प्रतिशत आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा। (दो) पचास प्रतिशत मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे अपर बाल विकास परियोजना अधिकारियों में से और ऐसे अधिकारी उपलब्ध नहीं है तो ऐसी दशा में मौलिक रूप से नियुक्त मुख्य सेविकाओं में से, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में बारह वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, आयोग के माध्यम से पदोन्नति द्वारा।
	(च) अपर बाल विकास परियोजना अधिकारीः– मौलिक रूप से नियुक्त पर्यवेक्षकों में से जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में दस वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, पदोन्नति द्वारा। **(छ) निदेशक के वैयक्तिक सहायकः–** मौलिक रूप से नियुक्त वैयक्तिक सहायक, कनिष्ठ वेतनमान और लिपिक ज्येष्ठ वेतनमान में से जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में सात वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, पदोन्नति द्वारा।	
नियम 10 का प्रतिस्थापन	4. उक्त नियमावली में, नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये विद्यमान नियम 10 के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्:–	
	स्तम्भ–1 **विद्यमान नियम**	**स्तम्भ–2** **एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम**
	10. आयुः– सीधी भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी ने उस कैलेण्डर वर्ष की, जिसमें आयोग द्वारा सीधी भर्ती के लिए रिक्तियां विज्ञापित की जाय, पहली जुलाई को 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और 32 वर्ष से अधिक आयु प्राप्त न की हो : परन्तु अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और ऐसी अन्य श्रेणियों के, जो सरकार द्वारा समय–समय पर अधिसूचित की जाय, अभ्यर्थियों की दशा में उच्चतर आयु	**10. आयुः–** सीधी भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी ने उस कैलेण्डर वर्ष की, जिसमें आयोग द्वारा सीधी भर्ती के लिए रिक्तियाँ विज्ञापित की जाय, पहली जुलाई को 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और 40 वर्ष से अधिक आयु प्राप्त न की हो : परन्तु यह कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और ऐसी अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के मामले में जो सरकार द्वारा

	सीमा उतने वर्ष अधिक होगी जितनी विनिर्दिष्ट की जाय।	समय–समय पर अधिसूचित की जाय, उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी जितनी विनिर्दिष्ट की जाय।
नियम 13 का प्रतिस्थापन	5. उक्त नियमावली में, नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये विद्यमान नियम 13 के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात:–	
	स्तम्भ–1 विद्यमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
	13. शारीरिक स्वस्थता:– किसी अभ्यर्थी को सेवा में किसी पद पर नियुक्त नहीं किया जायेगा, जब तक कि मानसिक और शारीरिक दृष्टि से उसका स्वास्थ्य अच्छा न हो और वह किसी ऐसे शारीरिक दोष से युक्त न हो जिससे उसे अपने कर्तव्यों का दक्षतापूर्वक पालन करने में बाधा पड़ने की सम्भावना हो। किसी अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिए अन्तिम रूप से अनुमोदित किये जाने के पूर्व उससे यह अपेक्षा की जायेगी कि वह चिकित्सा परिषद द्वारा परीक्षा उत्तीर्ण कर ले : परन्तु पदोन्नति द्वारा भर्ती किये गये अभ्यर्थी की स्थिति में चिकित्सा परिषद द्वारा चिकित्सा परीक्षा की आवश्यकता नहीं होगी।	13. शारीरिक स्वस्थता:– किसी अभ्यर्थी को सेवा में किसी पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जायेगा, जब तक कि मानसिक और शारीरिक दृष्टि से उसका स्वास्थ्य अच्छा न हो और वह किसी ऐसे शारीरिक दोष से युक्त न हो जिससे उसे अपने कर्तव्यों का दक्षतापूर्वक पालन करने में बाधा पड़ने की सम्भावना हो। किसी अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिए अन्तिम रूप से अनुमोदित किये जाने के पूर्व उससे यह अपेक्षा की जायेगी कि :– **(क)** सेवा में किसी राजपत्रित पद की दशा में चिकित्सा परिषद द्वारा परीक्षा उत्तीर्ण कर ले; **(ख)** सेवा में अन्य पदों की दशा में वित्तीय नियम–संग्रह, खण्ड दो, भाग तीन के अध्याय–तीन में दिये गये मूल नियम 10 के अधीन बनाये गये नियमों के अनुसार स्वस्थता का चिकित्सा प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करे; परन्तु यह कि पदोन्नति द्वारा भर्ती किये गये अभ्यर्थी से स्वस्थता के चिकित्सा प्रमाण–पत्र की अपेक्षा नहीं की जायेगी।
नियम 15 का संशोधन	6. उक्त नियमावली में, नियम 15 में :– (एक) नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये विद्यमान पार्श्व शीर्षक के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया पार्श्व शीर्षक रख दिया जायेगा, अर्थात् :–	
	स्तम्भ–1 विद्यमान पार्श्व शीर्षक	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित पार्श्व शीर्षक

	"भर्ती की प्रकिया"	"जिला कार्यक्रम अधिकारी और बाल विकास परियोजना अधिकारी के पदों हेतु आयोग के माध्यम से भर्ती की प्रकिया"
	(दो) नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये विद्यमान उप–नियम (4) के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया उप–नियम रख दिया जायेगा, अर्थात् :–	
	स्तम्भ–1 विद्यमान उप–नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित उप–नियम
	4. आयोग अभ्यर्थियों की उसकी प्रवीणता कम में, जैसा कि लिखित परीक्षा और साक्षात्कार में प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त अंकों के योग से प्रकट हो, एक सूची तैयार करेगा और उतनी संख्या में अभ्यर्थियों को जितनी वह नियुक्ति के लिए उचित समझे, संस्तुत करेगा। यदि दो या अधिक अभ्यर्थी कुल योग में बराबर–बराबर अंक प्राप्त करें तो लिखित परीक्षा में अधिक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी का नाम या यदि वे लिखित परीक्षा में भी बराबर–बराबर अंक प्राप्त करें तो आयु में ज्येष्ठ अभ्यर्थी का नाम सूची में ऊपर रखा जाएगा। सूची में नामों की संख्या रिक्तियों की संख्या से अधिक (किन्तु पच्चीस प्रतिशत से अनधिक) होगी। आयोग सूची नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रसारित करेगा।	4. आयोग अभ्यर्थियों की उनकी प्रवीणता कम में, जैसा कि लिखित परीक्षा और साक्षात्कार में प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त अंकों के योग से प्रकट हो, एक सूची तैयार करेगा और उतनी संख्या में अभ्यर्थियों को जितनी वह नियुक्ति के लिए उचित समझे, संस्तुति करेगा। यदि दो या अधिक अभ्यर्थी बराबर–बराबर अंक प्राप्त करें तो सूची में अभ्यर्थी का स्थानन आयोग की सामान्य नीति के अनुसार होगा। आयोग सूची नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रसारित करेगा।
नियम 16 का प्रतिस्थापन	7. उक्त नियमावली में, नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये विद्यमान नियम 16 के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्:–	
	स्तम्भ–1 विद्यमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
	16. पदोन्नति द्वारा भर्ती की प्रकिया :– (1) पदोन्नति द्वारा भर्ती अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए,ज्येष्ठता के आधार पर समय–समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश विभागीय पदोन्नति समिति का गठन (सेवा आयोग के क्षेत्र	**16. पदोन्नति द्वारा भर्ती की प्रकिया** (1) :– जिला कार्यक्रम अधिकारी और बाल विकास परियोजना अधिकारी के पदों पर पदोन्नति द्वारा भर्ती, समय–समय पर यथासंशोधित उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग सपरामर्श चयनोन्नति (प्रकिया)

	के बाहर के पदों के लिए) नियमावली, 1992 के अनुसार गठित चयन समिति के माध्यम से की जायेगी : परन्तु यदि इस प्रकार गठित चयन समिति में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्गों में से प्रत्येक का व्यक्ति सम्मिलित न हो तो ऐसी जातियों/जनजातियों और वर्गों के जिनका चयन समिति में प्रतिनिधित्व न हो, ऐसे एक अधिकारी को, जो सरकार के संयुक्त सचिव से अनिम्न पंक्ति का हो, चयन समिति के सदस्य के रूप में नाम निर्दिष्ट किया जायेगा। (2) नियुक्ति प्राधिकारी अभ्यर्थियों की पात्रता सूचियां उत्तर प्रदेश (लोक सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर के पदों पर) चयनोन्नति पात्रता सूची नियमावली, 1986 के अनुसार तैयार करेगा और उसे उसकी चरित्र पंजियों और उससे सम्बन्धित ऐसे अन्य अभिलेखों के साथ, जो उचित समझे जांय, चयन समिति के समक्ष रखेगा। परन्तु जहां किसी श्रेणी के पदों पर पदोन्नति एक से अधिक पोषक संवर्ग से की जानी हो तो व्यक्तियों के नामों की पात्रता के क्षेत्र मे उनके अपने पदों पर उनकी मौलिक नियुक्ति के दिनांक के द्वारा यथा अवधारित ज्येष्ठता के क्रम में रखकर और जहां दो या अधिक व्यक्ति इस रूप में एक ही दिनांक को सूची में ऊपर रखते हुए पात्रता सूचियां तैयार की जायेंगी। नामों को इस प्रकार रखते समय समान पद धारण करने वाले व्यक्तियों की परस्पर ज्येष्ठता बाधित नहीं की जायेगी : परन्तु यह और कि जहां पोषक संवर्ग में पद भिन्न वेतनमान में हों तो	निधमावली, 1970 के अनुसार, अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर आयोग के माध्यम से की जायेगी। परन्तु यह कि जिला कार्यक्रम अधिकारी के पद पर पदोन्नति के प्रयोजन हेतु पात्रता सूची, बाल विकास परियोजना अधिकारियों के नामों और तत्पश्चात् अपर बाल विकास परियोजना अधिकारियों के नामों को ज्येष्ठताक्रम में रखते हुए तैयार की जायेगी : परन्तु यह और कि बाल विकास परियोजना अधिकारी के पद पर पदोन्नति के प्रयोजन हेतु पात्रता सूची, मौलिक रूप से नियुक्त अपर बाल विकास परियोजना अधिकरियों के नामों को रखते हुए और यदि ऐसे अधिकारी उपलब्ध न हों तो मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे मुख्य सेविकाओं, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में बारह वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, में से तैयार की जायेगी। **(2) (एक)** उप–नियम (1) में निर्दिष्ट पदों से भिन्न पदों पर पदोन्नति द्वारा भर्ती समय–समय पर यथासंशोधित उत्तर प्रदेश विभागीय पदोन्नति समिति का गठन (सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर के पदों के लिए) नियमावली, 1992 के उपबन्धों के अनुसार गठित चयन समिति के माध्यम से समय–समय पर यथासंशोधित उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (पदोन्नति द्वारा भर्ती के लिए मानदण्ड) नियमावली, 1994 में दिये गये मानदण्ड के आधार पर की जायेगी। **टिप्पणी** – चयन समिति में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित

	उच्चतर वेतनमान धारण करने वाले व्यक्तियों के नाम पात्रता सूची में पहले रखे जायेंगे और निम्न वेतनमान धारण करने वाले व्यक्तियों के नाम उसके बाद रखे जायेंगे। (3) चयन समिति उपनियम (2) में निर्दिष्ट अभिलेखों के आधार पर अभ्यर्थियों के मामलों पर विचार करेगी और यदि वह आवश्यक समझे तो अभ्यर्थियों का साक्षात्कार भी कर सकती है। (4) चयन समिति चयन किये गये अभ्यर्थियों की भर्ती के समय प्रवृत्त सरकार के आदेशों के अनुसार एक सूची तैयार करेगी और उसे नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रसारित करेगी।	जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के नागरिकों को प्रतिनिधित्व देने के लिए अधिकारियों का नाम–निर्देशन, समय–समय पर यथा– संशोधित उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 की धारा 7 के अधीन दिये गये आदेश के अनुसार किया जायेगा। **(दो)** नियुक्ति प्राधिकारी अभ्यर्थियों की पात्रता सूची समय–समय पर यथासंशोधित उत्तर प्रदेश (लोक सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर के पदों पर) चयनोन्नति पात्रता सूची नियमावली, 1986 के अनुसार तैयार करेगा और इसे उनकी चरित्र पंजियों और उनसे सम्बन्धित ऐसे अन्य अभिलेखों के साथ, जो उचित समझे जांय, चयन समिति के समक्ष रखेगा। **(तीन)** चयन समिति खण्ड (दो) में निर्दिष्ट अभिलेखों के आधार पर अभ्यर्थियों के मामलों पर विचार करेगी और यदि वह आवश्यक समझे तो अभ्यर्थियों का साक्षात्कार भी कर सकती है। **(चार)** चयन समिति ज्येष्ठता क्रम में चयनित अभ्यर्थियों की एक सूची, जैसा की यह उस संवर्ग में थी जिस संवर्ग से उनकी पदोन्नति की जानी हो, तैयार करेगी और उसे नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रसारित करेगी।
नियम 19 का प्रतिस्थापन	8. उक्त नियमावली में, नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये विद्यमान नियम 19 के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्:–	
	स्तम्भ–1 विद्यमान नियम	**स्तम्भ–2** एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
	19. परिवीक्षा :– (1) सेवा में किसी पद पर मौलिक रूप से नियुक्त किये	**19. परिवीक्षा** :– (1) सेवा में किसी पद पर मौलिक रूप से नियुक्त किये

	जाने पर प्रत्येक व्यक्ति को दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रखा जायेगा।	जाने पर प्रत्येक व्यक्ति को समय–समय पर यथासंशोधित उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक परिवीक्षा नियमावली, 2013 के अनुसार परिवीक्षा पर रखा जायेगा।
	(2) नियुक्ति प्राधिकारी ऐसे कारणों से जो अभिलिखित किये जायेंगे अलग–अलग मामलों में परिवीक्षा अवधि को बढ़ा सकता है जिसमें ऐसा दिनांक विनिर्दिष्ट किया जायगा जब तक अवधि बढ़ायी जाय : परन्तु आपवादिक परिस्थितियों के सिवाय परिवीक्षा अवधि एक वर्ष से अधिक और किसी भी परिस्थिति में दो वर्ष से अधिक नहीं बढ़ायी जायगी।	(2) यदि परिवीक्षा अवधि या बढ़ायी गयी परिवीक्षा अवधि के दौरान, किसी भी समय या उसके अन्त में, नियुक्ति प्राधिकारी को यह प्रतीत हो कि परिवीक्षाधीन व्यक्ति ने अपने अवसरों का पर्याप्त उपयोग नहीं किया है, तो उसे उसके मौलिक पद पर, यदि कोई हो, प्रत्यावर्तित किया जा सकता है और यदि उसका किसी पद पर धारणाधिकार न हो तो उसकी सेवायें समाप्त की जा सकती हैं।
	(3) यदि परिवीक्षा अवधि या बढ़ायी गयी परिवीक्षा अवधि के दौरान किसी भी समय या उसके अन्त में नियुक्ति प्राधिकारी को यह प्रतीत होता हो कि परिवीक्षाधीन व्यक्ति ने अपने अवसरों का पर्याप्त उपयोग नहीं किया है, तो उसे उसके मौलिक पद पर, यदि कोई हो, प्रत्यावर्तित किया जा सकता है और "यदि उसका किसी पद पर धारणाधिकार न हो" तो उसकी सेवायें समाप्त की जा सकती हैं।	(3) ऐसा परिवीक्षाधीन व्यक्ति जिसे उप–नियम (2) के अधीन प्रत्यावर्तित किया जाय या जिसकी सेवायें समाप्त की जांय किसी प्रतिकर का हकदार न होगा।
	(4) ऐसा परिवीक्षाधीन व्यक्ति, जिसे उपनियम (3) के अधीन प्रत्यावर्तित किया जाय या जिसकी सेवायें समाप्त की जांय किसी प्रतिकर का हकदार नहीं होगा। (5) नियुक्ति अधिकारी संवर्ग में सम्मिलित किसी पद पर या किसी अन्य समकक्ष या उच्च पद पर स्थानापन्न या अस्थायी रूप में की गयी निरन्तर सेवा को परिवीक्षा अवधि की संगणना करने के प्रयोजनार्थ गिने जाने की अनुमति दे सकता है।	(4) नियुक्ति प्राधिकारी सेवा के संवर्ग में सम्मिलित किसी पद पर या किसी अन्य समकक्ष या उच्चतर पद पर स्थानापन्न या अस्थायी रूप में की गयी निरन्तर सेवा को परिवीक्षा अवधि की संगणना करने के प्रयोजनार्थ गिने जाने की अनुमति दे सकता है।

<table>
<tr><td>नियम 22 का संशोधन</td><td colspan="4">9. उक्त नियमावली, नियम 22 में, नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये विद्यमान उप–नियम (2) के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया उप–नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्–</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">स्तम्भ–1
विद्यमान नियम</td><td colspan="2">स्तम्भ–2
एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">(2) इस नियमावली के प्रारम्भ होने के समय के वेतनमान नीचे दिये गये हैं:–</td><td colspan="2">(2) उत्तर प्रदेश बाल विकास एवं पुष्टाहार (समूह 'क' और समूह 'ख') सेवा (प्रथम संशोधन) नियमावली, 2017 के प्रारम्भ होने के समय के वेतनमान नीचे दिये गये हैं :–</td></tr>
<tr><td></td><td>क. सं. पद का नाम</td><td>वेतनमान</td><td>पद का नाम</td><td>वेतनमान</td></tr>
<tr><td></td><td>1. अपर परियोजना प्रबन्धक</td><td>2350–75–2800 –द0रो0–100–4300 रूपये</td><td>उप निदेशक</td><td>वेतन मैट्रिक्स लेवल–11 (रू0 67700–208700)</td></tr>
<tr><td></td><td>2. कार्यक्रम अधिकारी (मुख्यालय)</td><td>3000–100–3500–125–4500 रूपये।</td><td>सहायक निदेशक (मुख्यालय)</td><td>वेतन मैट्रिक्स लेवल–10 (रू0 56100–177500)</td></tr>
<tr><td></td><td>3. सहायक निदेशक</td><td>2200–75–2800–द0रो0–100–4000 रूपये।</td><td>जिला कार्यक्रम अधिकारी</td><td>वेतन मैट्रिक्स लेवल–10 (रू0 56100–177500)</td></tr>
<tr><td></td><td>4. जिला कार्यक्रम अधिकारी</td><td>2200–75–2800–द0रो0–100–4000 रूपये।</td><td>बाल विकास परियोजना अधिकारी</td><td>वेतन मैट्रिक्स लेवल–6 (रू0 35400–112400)</td></tr>
<tr><td></td><td>5. अनुभाग अधिकारी</td><td>2200–60–2300 द0रो0–75–3200–100– 3500 रूपये।</td><td colspan="2" rowspan="4"></td></tr>
<tr><td></td><td>6.बाल विकास परियोजना अधिकारी</td><td>1600–50–2300 द0रो0–60–2660 रूपये।</td></tr>
<tr><td></td><td>7. अपर बाल विकास परियोजना अधिकारी</td><td>1600–50–2300 द0रो0–60–2660 रूपये।</td></tr>
<tr><td></td><td>8.निदेशक का वैयक्तिक सहायक</td><td>2200–60–2300 द0रो0–75– 3200 रूपये।</td></tr>
<tr><td>नियम–24 का विलोपन</td><td colspan="4">10. उक्त नियमावली में नियम–24 निकाल दिया जायेगा।</td></tr>
</table>

परिशिष्ट का प्रतिस्थापन	11. उक्त नियमावली में, नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये विद्यमान परिशिष्ट के स्थान पर स्तम्भ–2 में दी गयी परिशिष्ट रख दी जायेगी, अर्थात्–

स्तम्भ–1 विद्यमान परिशिष्ट नियम 4(2) देखिये					स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित परिशिष्ट नियम 4(2) देखिये		
क्र. सं.	पद का नाम	पदों की संख्या			क्र. सं.	पद का नाम	पदों की संख्या
		स्थायी	अस्थायी	योग			
1.	अपर परियोजना प्रबन्धक			5	1.	उप निदेशक	07
2.	कार्यक्रम अधिकारी (मुख्यालय)			1			
3.	सहायक निदेशक (मुख्यालय)			1	2.	सहायक निदेशक (मुख्यालय)	01
4.	जिला कार्यक्रम अधिकारी			34	3.	जिला कार्यक्रम अधिकारी	73
5.	अनुभाग अधिकारी			1			
6.	बाल विकास परियोजना अधिकारी			313	4.	बाल विकास परियोजना अधिकारी	897
7.	अपर बाल विकास परियोजना अधिकारी			40			
8.	निदेशक का वैयक्तिक सहायक			1			

आज्ञा से,

(अनीता सी. मेश्राम)
सचिव